प्रेस नोट

दिनांक 04.10.2024, थाना परसपुर

जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोपी 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं०- 401/2024 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तो 01. रणविजय गोस्वामी, 02. घिर्राऊ प्रसाद गोस्वामी व 03. श्रीमती उर्मिला को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.10.2024 को वादी द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी बहन को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 401/2024 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम रणविजय गोस्वामी आदि 06 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्तो 01. रणविजय गोस्वामी, 02. घिर्राऊ प्रसाद गोस्वामी व 03. श्रीमती उर्मिला को आज दिनांक 04.10.2024 को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रणविजय गोस्वामी पुत्र घिर्राऊ प्रसाद गोस्वामी, निवासी मरजातपुरवा मौजा चरहुआ थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
02. घिर्राऊ प्रसाद गोस्वामी पुत्र स्व0 फूलचन्द्र गोस्वामी निवासी मरजातपुरवा मौजा चरहुआ थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
03. श्रीमती उर्मिला पत्नी घिर्राऊ प्रसाद गोस्वामी निवासी मरजातपुरवा मौजा चरहुआ थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 401/2024 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०अमन कन्नौजिया
02. का0 रमाकान्त पटेल
03. का0 आनन्द अग्रहरि
04. का0 अमित कन्नौजिया
05. म0का0 सीमा वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.10.2024 थाना इटियाथोक

जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 01 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त भोला उपाध्याय उर्फ जयप्रकाश पुत्र श्रीप्रकाश उपाध्याय निवासी तेलियानी उपाध्याय थाना इटियाथोक, गोण्डा को नरौरा भर्रापुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना इटियाथोक में मु0अ0स0-333/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 04.10.2024 को थाना इटियाथोक के उ0नि0 विकास कुमार मय फोर्स रात्रि गस्त व शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि नरौरा भर्रापुर रेलवे क्रासिंग के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर अभियुक्त भोला उपाध्याय उर्फ जयप्रकाश पुत्र श्रीप्रकाश उपाध्याय निवासी तेलियानी उपाध्याय थाना इटियाथोक, गोण्डा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना इटियाथोक में मु0अ0स0- 333/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01\. भोला उपाध्याय उर्फ जयप्रकाश पुत्र श्रीप्रकाश उपाध्याय निवासी तेलियानी उपाध्याय थाना इटियाथोक, गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01\. मु0अ0स0- 333/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1\. 01 अदद देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01\. उ0नि0 विकास कुमार

02\. हे0का0 संजय निषाद

03\. का0 सौरभ दीक्षित

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.10.2024, मानिटरिंग सेल,

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिका के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी अभियुक्तों को हुई 03 वर्ष कठोर कारावास व रूपये 21,000/- अर्थदण्ड की सजा-

दिनांक 19.02.2021 को थाना को०मनकापुर पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बहन घर पर बर्तन धो रही थी, कि विपक्षीगण उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगे मना करने पर जाति सूचक गाली देते हुए भाग गये। जिसके सम्बन्ध में थाना मनकापुर पर मु०अ०सं०-58/2021, धारा 323, 504, 506, 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री ओमपाल सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 07.09.2022 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री नम्रता अग्रवाल द्वारा थाना को0मनकापुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अनूप प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 नीता यादव व थाना को0मनकापुर के पैरोकार हे0का0 मधुसूदन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 04.10.2024 को दोषी अभियुक्तों – 01. सुशील वर्मा पुत्र रामकुमार निवासी मछली गाँव नानकार, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा, 02. शिव प्रसाद दूबे पुत्र विजय प्रताप निवासी दुबौली रामचरन, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा, 03. मोनू उर्फ कृष्ण कुमार दूबे पुत्र लाल बच्चा निवासी दुबौली रामचरन, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 21,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. सुशील वर्मा पुत्र रामकुमार निवासी मछली गाँव नानकार, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।
02. शिव प्रसाद दूबे पुत्र विजय प्रताप निवासी दुबौली रामचरन, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।
03. मोनू उर्फ कृष्ण कुमार दूबे पुत्र लाल बच्चा निवासी दुबौली रामचरन, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-58/2021, धारा 323, 504, 506, 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।